न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 08/2020

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. शंकरसिंह पुत्र रामसिंह 2. रावतसिंह पुत्र रामसिंह 3. दुर्गसिंह पुत्र रामसिंह 4. नारायणसिंह पुत्र रामसिंह 5. चैनसिंह पुत्र रामसिंह 6. बंशीलाल पुत्र रामसिंह 7. भैरूसिंह पुत्र अमानसिंह 8. पप्पूसिंह पुत्र अमानसिंह 9. महेन्द्रसिंह पुत्र अमानसिंह जातियान–राजपुरोहित, निवासी–ग्राम सरवडी, तहसील पचपदरा जिला बालोतरा।		1. चान्दसिंह पुत्र चिमनसिंह 2. पुखराजसिंह पुत्र चिमनसिंह जातियान–राजपुरोहित, निवासी–ग्राम सरवडी, तहसील पचपदरा जिला बालोतरा। 3. तहसीलदार, पचपदरा जिला बालोतरा।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.12.2019 जो जिला कलेक्टर, बाडमेर ने अपील संख्या 12/2018 अनवान चांदसिंह बनाम तहसीलदार पचपदरा में पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता, अपीलाण्ट्स की ओर से।
2. श्री गोपालसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता, रेस्पो0संख्या 01 व 2 की ओर से।
3. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट संख्या 3 की ओर से।

:: <u>निर्णय</u> ::

दिनांकः– 28 मई, 2025

1. अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील पत्रावली में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके पिता श्री चिमनसिंह व अपीलान्ट्स के पिता रामसिंह सगे भाई थे। रामसिंह व चिमनसिंह ने सहायक कलेक्टर, बालोतरा न्यायालय के समक्ष एक वाद संख्या 74/1972 पेश कर ख0सं0 90 रकबा 23.10 बीघा व ख0सं0 224 रकबा 11.08 बीघा भूमि बन्दोबस्त के समय अधिकारियों की भूल के कारण बिला कब्जा गैर मुमकीन दर्ज कर दिया गया जो खतौनी बन्दोबस्त के कॉलम संख्या 04 में मकबुजा दर्ज किया गया है जिसकी खातेदारी वादीगण के पक्ष में घोषित की जाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावें। सहायक कलेक्टर, बालोतरा के द्वारा उक्त राजस्व वाद को दिनांक 22.10.1973 को स्वीकार करते हुए वादीगण को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया गया। उक्त जारी डिक्री के अनुसार

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

ना0 तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा अकेले रामसिंह के नाम नामा0 संख्या 217 दिनांक 04.03 वर्ष शून्य को स्वीकृत किया गया।

2. उक्त स्वीकृत नामा0 संख्या 217 के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या एक व दो ने एक अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.1.2018 को पेश की गई। उक्त प्रथम अपील को जिला कलेक्टर,बाडमेर न्यायालय के द्वारा दिनांक 30.12.2019 को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन नामा0 संख्या 217 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 13.01.2020 को न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

3. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। दौराने सुनवाई अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर एवं विधिक प्रावधानों के विपरित अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो कि खारिज योग्य है क्योंकि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लगभग 45 वर्ष पश्चात पेश की गई थी। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि मियाद बाहर पेश अपील में मियाद के बिन्दु को सर्वप्रथम निस्तारित करना होता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दू का निस्तारण ही नहीं किया गया। रेस्पोडेन्टस की ओर से पेश उक्त प्रार्थना पत्र के साथ चान्दसिंह पुत्र चिमनसिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा यह कथन किया कि चांदसिंह पुत्र चिमनसिंह निवासी— सरवड़ी पुरोहितान अम्बिका ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 तिरसींगड़ी सोढ़ा के अध्यक्ष पद पर दिनांक 7.12.2006 से दिनांक 13.12.2011 तक कार्यरत था तथा 1982 से 2005 तक वार्डपंच पद पर निर्वाचित रहा। इसके अतिरिक्त चांदसिंह की पत्नी नारायणीदेवी वर्ष 2010 से 2014 तक सरपंच ग्राम पंचायत सरवड़ी के पद पर रही थी। इस प्रकार रेस्पोडेन्टस का परिवार शिक्षित, जागरूक व समृद्ध परिवार है तो ऐसे में नामा0 संख्या 217 की जानकारी उनको शुरूआत से ही थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन बिन्दुओं का निस्तारण नहीं किया, इस कारण से अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

4. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उनकी ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भी निवेदन किया गया था कि चिमनसिंह की ओर से पेश खातेदारी घोषणा का वाद संख्या 72/1974 प्रस्तुत नहीं किया गया था। उक्त वाद पत्र पर चिमनसिंह के हस्ताक्षर नहीं है और न ही वकालतनामा पर चिमनसिंह के हस्ताक्षर है। इस आधार पर वादपत्र चिमनसिंह की ओर से प्रस्तुत किया जाना नहीं माना जायेगा। चिमनसिंह ने अपनी सहमति से नामा0 संख्या 217 स्वीकृत करवाया। चिमनसिंह का देहान्त वर्ष 1980 में हो गया जिस पर उनका फौतेदगी नामान्तरकरण उनके वारिसान के नाम स्वीकृत हुआ। ऐसे में चिमनसिंह के विधिक वारिसान यानि रेस्पोडेन्टस को उक्त नामा0 संख्या 217 की जानकारी वर्ष 1980 में ही हो गई थी। रैस्पोडेन्टस ने प्रथम अपील में चिमनसिंह के देहान्त की तारीख, महिना व वर्ष जानबूझकर अंकित नहीं किया गया है। चिमनसिंह द्वारा

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपने जीवनकाल में उक्त अपीलाधीन नामा0 के सम्बन्ध में कोई उज्र एतराज नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट्स को उक्त राजस्व रेकर्ड की पूर्ण जानकारी तत्समय से ही रही है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा सहकारी समितियों से ऋण, खाद बीज, फसल मुआवजा आदि अन्य सुविधाएं प्राप्त की हुई है। यदि रेस्पोडेन्ट्स उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई हक–हिस्सा या अधिकार होता तो रेस्पोडेन्ट्स इतने वर्षो तक चुप नहीं बैठ सकते थे। इस कारण से उक्त अपीलाधीन नामा0 संख्या 217 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स को करीब 45 वर्ष पश्चात प्रथम अपील प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं रहा है।

5. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि ख.सं. 90 रकबा 23.10 बीघा व ख0सं0 224 रकबा 11.08 बीघा पर चिमनसिंह व उनके वारिसान का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा और न ही विवादित भूमि चिमनसिंह की खातेदारी में कभी दर्ज रही। उपरोक्त राजस्व रेकर्ड की जानकारी चिमनसिंह को पूर्व से ही थी और उनके द्वारा कभी एतराज नहीं किया गया। चिमनसिंह के वारिसान को उक्त नामा0 के विरूद्ध अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी उक्त प्रस्तुत तर्को पर किसी प्रकार का गौर नहीं किया और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.12.2019 के द्वारा अपीलाधीन नामा0 संख्या 217 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को रिमाण्ड करते हुए पुनः सुनवाई का आदेश पारित कर दिया गया है, जो खारिज योग्य होने से खारिज किया जावें तथा नामा0 संख्या 217 को बहाल किया जावें।

6. प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि उनकी ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामा0 संख्या 217 के विरूद्ध प्रथम अपील पेश करते हुए यह निवेदन किया गया था कि उनके पिता चिमनसिंह व अपीलान्ट के पिता रामसिंह सगे भाई है। जिनके द्वारा सहायक कलेक्टर, बालोतरा के समक्ष एक राजस्व वाद संख्या 74/1972 पेश कर ग्राम सरवडी के ख0सं0 90 रकबा 23.10 बीघा व ख0सं0 224 रकबा 11.08 बीघा भूमि, जो कि बन्दोबस्त के समय अधिकारियों की भूल से बिला कब्जा गैर मुमकिन दर्ज हो गई तथा खतौनी बन्दोबस्त के कॉलम संख्या 4 में मकबुजा दर्ज किया गया है जिसकी खातेदारी वादीगण रामसिंह व चिमनसिंह के पक्ष में घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में अंकन किया जावें। उक्त दावे को सहायक कलेक्टर न्यायालय द्वारा दिनांक 22.10.1973 को स्वीकार करते हुए खातेदार घोषित कर दिया गया। उक्त पारित डिक्री के अनुसार " दावा डिक्री किया जाकर वादीगण को ख0सं0 90 रकबा 23.10 बीघा व ख0सं0 224 रकबा 11.08 बीघा वाके सरवडी में खुदकाश्त (सासणदार) होने के नाते खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना–अपना बर्दाश्त करें। रेकर्ड में अमल दरामद हो।" उक्त डिक्री की अनुपालना ना0 तहसीलदार पचपदरा के द्वारा न करते हुए केवल मात्र एक व्यक्ति रामसिंह के पक्ष में नामा0 संख्या 217 दिनांक 4.3. दिनांक शून्य स्वीकृत कर दिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर अपील की जा रही है।

7. रेस्पो. सं. 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि ना0 तहसीलदार के द्वारा स्वीकृत नामा0 रामसिंह के अकेले के नाम से स्वीकृत किया गया, जो कि सहायक

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

कलेक्टर न्यायालय के द्वारा जारी डिक्री के अनुरूप नहीं है। उक्त डिक्री निर्णय का भली भांति अवलोकन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त नामा0 को स्वीकृत करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट्स के पिता को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया, ऐसे में पारित डिक्री निर्णय दिनांक 22.10.1973 की घोर अवहेलना की गई थी। अपीलान्ट के पिता व रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता की उक्त भूमि पर 1/2–1/2 हिस्से की खातेदारी थी। उनके जीवनकाल में वे अपने हिस्से के अनुसार काबिज थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे की जॉच किये बिना ही अपीलाधीन नामा0 पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य था।

8. रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा यह कहा जाना कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 की ओर से पेश अपील के संलग्न मियाद प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया, मानने योग्य नहीं है। रेस्पो0 ने मियाद प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया है कि 'प्रस्तुत इस अपील में मियाद का प्रश्न है तो न्यायालय निर्णय को अनदेखा करते हुए अवैध रूप से पारित आदेश प्रारम्भ से शून्य की परिभाषा में आता है जिसके लिये मियाद बाधित नहीं है। हस्तगत अपील में अपीलाधीन नामा0, डिक्री की अनुपालना में अवश्य स्वीकृत किया गया है किन्तु निर्णय के अनुसार नहीं भरा गया है जो अवैध आदेश है तथा नामा0 स्वीकृति से पूर्व पक्षकारान को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। रेस्पोडेन्ट्स के पढे–लिखे व्यक्ति होने के कारण उन्हें नामा0 की जानकारी प्रारम्भ से ही थी, मानने योग्य नहीं है। इस प्रकार अपीलाधीन नामा0 अवैध व प्रारम्भ से शून्य आदेश की परिधि में आने से बहाल रखे जाने योग्य नहीं है।'' इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील में विस्तृत एवं अन्तिम निर्णय पारित करने से पूर्व मियाद प्रार्थना पत्र पर सविस्तार निर्णय किया गया है तथा प्रथम अपील को अन्दर मियाद मान कर गुणावगुण पर निर्णित किया गया है, जो यथावत रखे जाने योग्य है।

9. रेस्पो. सं. 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को प्रतिप्रेषित करते हुए सभी हितबद्ध पक्षकारान को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान करने, समग्र दस्तावेजों की जॉच व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने के पश्चात नये सिरे से नामा0 की कार्यवाही सम्पन्न करने के निर्देश प्रदान किये गये है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। अपीलान्ट्स उक्त आदेश के क्रम में तहसीलदार, पचपदरा के समक्ष अपना पक्ष एवं साक्ष्य दस्तावेज पेश कर सकते है। अतः उपरोक्त समस्त आधारों पर अपीलान्ट्स की अपील खारिज की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2019 को यथावत बहाल रखा जावें।

10. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि अपीलान्ट के पिता रामसिंह व रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता चिमनसिंह के द्वारा सहायक कलेक्टर, बालोतरा न्यायालय के समक्ष खातेदारी

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

घोषणा बाबत एक वाद संख्या 74/1972 पेश किया कि ख0सं0 90 रकबा 23.10 बीघा व ख0सं0 224 रकबा 11.08 बीघा भूमि बन्दोबस्त के समय अधिकारियों की भूल के कारण बिला कब्जा गैर मुमकिन दर्ज कर दिया गया जो खतौनी बन्दोबस्त के कॉलम संख्या 04 में मकबुजा दर्ज किया गया है जिसकी खातेदारी वादीगण के पक्ष में घोषित की जाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावें। सहायक कलेक्टर, बालोतरा ने वाद को दिनांक 22.10.1973 को स्वीकार करते हुए वादीगण को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया गया। उक्त पारित डिक्री के अनुसार ''दावा डिक्री किया जाकर वादीगण को ख0सं0 90 रकबा 23.10 बीघा व ख0सं0 224 रकबा 11.08 बीघा वाके सरवडी में खुदकाश्त (सासणदार) होने के नाते खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना-अपना बर्दाश्त करें। रेकर्ड में अमल दरामद हो।'' उक्त डिक्री की अनुपालना ना0 तहसीलदार पचपदरा के द्वारा न करते हुए केवल मात्र एक व्यक्ति रामसिंह अपीलान्ट के पिता के पक्ष में नामा0 संख्या 217 दिनांक 4.3. दिनांक शून्य स्वीकृत कर दिया गया। उक्त स्वीकृत नामा0 संख्या 217 के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या एक व दो ने एक अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.1.2018 को पेश की गई। उक्त प्रथम अपील को जिला कलेक्टर, बाडमेर न्यायालय के द्वारा दिनांक 30.12.2019 को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया गया है कि ''अपीलाधीन नामा0 संख्या 217 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि सभी हितबद्ध पक्षकारान को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए न्यायालय निर्णय के परिप्रेक्ष्य में समग्र दस्तावेज की जॉच एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से नामा0 की कार्यवाही सम्पन्न करे। इसके साथ ही अपीलाधीन नामा0 के अवलोकन से एक तथ्य यह भी प्रकट हुआ है कि प्रश्नगत नामा0 के कॉलम संख्या 5 में ख0सं0 224 रकबा 11.08 बीघा भूमि मालाराम पुत्र झीताराम कौम नाई सा0 देह गैर खातेदार के नाम दर्ज थी, जबकि सहायक कलेक्टर, बालोतरा के निर्णय एवं डिक्री में इस पक्षकार के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। लिहाजा इस तथ्य को भी मद्देनजर रखते हुए जॉच की जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावें।''

11. विद्वान जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा रेस्पो. सं. 1 व 2 की प्रथम अपील को स्वीकार किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए प्रकरण को पुनः सुनवाई एवं साक्ष्य/जॉच पश्चात नये सिरे से नामा0 हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। ना0 तहसीलदार पचपदरा के द्वारा सहायक कलेक्टर न्यायलय द्वारा जारी डिक्री निर्णय दिनांक 22.10.73 की पूर्णतः पालना नहीं करते हुए वाद में संस्थित दो वादी रामसिंह व चिमनसिंह के स्थान पर केवल मात्र रामसिंह के नाम ही नामा0 स्वीकृत किया गया था जबकि एक अन्य व्यक्ति चिमनसिंह भी वाद में पक्षकार थे। इसके अतिरिक्त ना0 तहसीलदार के द्वारा उक्त नामा. सं. 217 किस वर्ष में स्वीकृत किया गया था, वह वर्ष नामा0 संख्या 217 में अंकित नहीं किये जाने के कारण उक्त नामा. संदिग्ध व सन्देहास्पद है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

12. सहायक कलेक्टर, बालोतरा के द्वारा वादीगण रामसिंह व चिमनसिंह का दावा स्वीकार किया गया है, वह दावा सरकार के विरूद्ध पारित किया गया है और दावे में वादीगणों की खातेदारी के पक्ष में स्वीकार की गई भूमि की किस्म बारानी अव्वल भूमि बिला मुमकिन दर्ज होना स्पष्ट है। ऐसे में इस तथ्य की भी जॉच होना आवश्यक है कि दावा विधि अनुरूप स्वीकार किया गया है अथवा केवल मात्र वादीगणों के कथनों एवं कब्जा काश्त को ही आधार मानते हुए स्वीकार किया गया है। जिला कलेक्टर अपने स्तर पर उक्त डिक्री निर्णय दिनांक 22.10.1973 जो कि सरकारी भूमि की खातेदारी दिये जाने हेतु पारित की गई है, के सम्बन्ध में विधिवत जॉच कराये तथा प्रकरण रेफरेन्स योग्य हो तो नियमानुसार रेफरेन्स की कार्यवाही करें। इसके अतिरिक्त नामा0 संख्या 217 में मालाराम पुत्र झीताराम का नाम किस आदेश से तथा किस प्रकार से अंकित हुआ, इसकी भी जॉच आवश्यक है क्योंकि वाद में पारित डिक्री निर्णय दिनांक 22.10.1973 में इसका कोई उल्लेख नहीं है। जिला कलेक्टर, बाडमेर को चाहिये था कि अपीलाधीन नामा0 में मालाराम पुत्र झीताराम नाम दर्ज करने सम्बन्धी तथ्य उनके संज्ञान में आने पर मालाराम को भी अपना पक्ष रखे जाने हेतु पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था जो कि प्राकृतिक न्याय एवं नैसर्गिक सिद्धान्तों के अनुसार आवश्यक था।

13. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश अपील में अपीलाधीन नामा0 संख्या 217 को तलब किये जाने पर तहसीलदार पचपदरा की ओर से उक्त नामा0 संख्या 217 को अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित नहीं किया जाना स्पष्ट है और आदेशिकाओं में भी उक्त अभिलेख प्राप्त नहीं होना अंकित हो रखा है। न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश होने पर उक्त नामा0 संख्या 217 तलब किया गया। जिस पर तहसीलदार, कल्याणपुर के द्वारा उक्त नामा0 की मूल प्रति भिजवा पाने में असमर्थता जताई गई और उल्लेख किया गया कि उक्त नामा0 बाढ के कारण क्षतिग्रस्त हो गये थे और नामा0 की मूल प्रति कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। जिस पर इस कार्यालय स्तर से जिला कलेक्टर, बालोतरा को पत्र क्रमांक 673 दिनांक 3.6.2024 को लिखा जाकर तहसीलदार, कल्याणपुर के उक्त पत्र क्रमांक 825 दिनांक 15.5.2024 का हवाला देते हुए नामा0 संख्या 217 की वस्तुस्थिति ज्ञात करते हुए मूल नामा0 भिजवाने हेतु लिखा गया। तब जिला कलेक्टर बालोतरा के द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.7.2024 के द्वारा जिला कार्यालय में उपलब्ध नामा0 परत भिजवाई गई। ऐसे में मूल नामा0 प्रति उपलब्ध नहीं होना भी एक जॉच का विषय है। बिना मूल नामा0 के तहसीलदार, कल्याणपुर किस प्रकार से जॉच कार्यवाही सम्पादित कर सकेंगे। ऐसे में उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट्स की अपील आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य होने से प्रकरण वर्तमान जिला कलेक्टर, बालोतरा को इन दिशा-निर्देशो के साथ तथा प्रकरण में उपरोक्त सभी तथ्यों/बिन्दुओं/दस्तावेजों की गहनता से जॉच करवाये जाने, उभय पक्षकारान के साथ-साथ अन्य व्यक्ति मालाराम पुत्र झीताराम को भी सुनवाई एवं अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर दिये जाने तथा उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे पारित डिक्री निर्णय जो कि सरकारी भूमि के सम्बन्ध में जारी की गई है, के सम्बन्ध में विधि अनुरूप जॉच करवाने

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

एवं प्रकरण रेफरेन्स योग्य पाये जाने के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित होगा।

14. अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2019 को निरस्त किया जाकर प्रकरण वर्तमान जिला कलेक्टर, बालोतरा को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में उपरोक्तानुसार दर्शाये गये सभी तथ्यों/बिन्दुओं/दस्तावेजों की गहनता से जॉच करवाये, उभय पक्षकारान के साथ–साथ अन्य व्यक्ति मालाराम पुत्र झीताराम को भी सुनवाई एवं अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर दिये जाने तथा उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे पारित डिक्री निर्णय दिनांक 22.10.1973 जो कि सरकारी भूमि के सम्बन्ध में जारी की गई है, के सम्बन्ध में विधि के अनुरूप जॉच करवाने एवं प्रकरण रेफरेन्स योग्य पाये जाने के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण रेफरेन्स योग्य पाये जाने पर नियमानुसार रेफरेन्स की कार्यवाही करें तथा उपरोक्तानुसार पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 28 मई, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर